2017 का विधेयक संख्यांक 136

[दि फेमिलीज़ ऑफ फार्मर्स (फाइनेंशियल असिस्टेन्स एण्ड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

किसानों के परिवार (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) विधेयक, 2017

आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं और अन्य आश्रित पारिवारिक सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ताकि ऐसे परिवारों को टिकाऊ आजीविका मिलने में सहायता की जा सके और तत्संबंधी विषयों के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किसानों के परिवार (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) अधिनियम, 2017 है

(*2*) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य अथवा विधान सभा वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, क्रमश: उस राज्य की सरकार अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''शोक संतप्त परिवारों'' से वर्ष 2000 से आत्महत्या करने वाले मृत किसानों की विधवाएं और बच्चे अभिप्रेत है;

(ग) ''बच्चों'' से मृत किसानों जिन्होंने वर्ष 2000 से आत्महत्या की है के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से नगर निगम अथवा नगर परिषद अथवा नगर पंचायत अथवा जिला परिषद अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत है।

(ङ) ''अधिसूचना'' से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए यथाविहित अभिप्रेत है।

(छ) ''विधवा'' से उस मृतक किसान जिसने 2000 से आत्महत्या की है की विधिवत रूप से विवाहित महिला अभिप्रेत है।

किसानों को ऋण माफी।

3. समुचित सरकार उन किसानों के बकाया ऋण माफ करेगी जिन्होनें वर्ष 2000 से आत्महत्या की है।

राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता।

4. (*1*) केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य में कृषि संकट की व्याप्ति के अधीन, राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किसी राज्य में कृषि संकट का मानक निर्धारित करेगी।

(*3*) निधियां उप-धारा (*2*) के अन्तर्गत यथा-निर्धारित कृषिगत संकट के लिए कसौटी के आधार पर राज्यों में आबंटित की जाएंगी।

शोक संतप्त परिवारों को प्रतिकर।

5. (*1*) समुचित सरकार धारा 3 के अन्तर्गत यथानिर्धारित किसानों के ऋण को माफ करने के साथ शोक-संतप्त परिवारों को प्रतिकर उपलब्ध कराएगी।

विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

6. (*1*) समुचित सरकार विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी ताकि कृषि के वैकल्पिक रूप में आजीविका के टिकाऊ साधनों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

(*2*) उप-धारा (*1*) के प्रयोजनार्थ, समुचित सरकार हस्तशिल्पों के लिए अथवा उस क्षेत्र के कौशल स्थानिक पुनरुद्धार हेतु कौशल अभिवृद्धिकरण कार्यशालाओं का आयोजन करेगी।

विधवाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधन और प्रारम्भिक निवेश के रूप में ब्याजरहित ऋण।

7. (*1*) समुचित सरकार लघुस्तरीय उद्योगों और हस्तशिल्पों की स्थापना करने के लिए विधवाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों का उपबंध करेगी ताकि उन्हें अपने बच्चों की आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके।

(2) समुचित सरकार, धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित कौशल अभिवृद्धि कार्यशालाओं से विधवाओं द्वारा आवश्यक कौशल अर्जित करने के पश्चात, कृषि को आजीविका के वैकल्पिक साधनों के रूप में लघुस्तरीय उद्योग, डेयरी फार्म अथवा कुक्कुट फार्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश के रूप में विधवाओं के ब्याजरहित ऋण का उपबंध करेगी:

किन्तु दो हेक्टेयर से कम फार्म भूमि के मामले में, प्रारम्भिक निवेश हेतु ब्याज रहित ऋण लघुस्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

शोक संतप्त परिवारों को उपस्कर और आदान प्रदान करने के लिए समुचित सरकार।

8. समुचित सरकार आजीविका के रूप में कृषिकर्म का विकल्प अपनाने वाले शोक-संतप्त परिवारों को प्रथम बुआई मौसम के लिए आवश्यक उपस्कर और आदान का उपबन्ध करेगी।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों हेतु विद्यालय।

9. समुचित सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में उन क्षेत्रों के बच्चों तक विद्यालय और शिक्षा की और अधिक पहुँच सुलभ कराने के लिए विद्यालय खोलेगी।

शोक संतप्त परिवारों का स्वास्थ्य।

10. समुचित सरकार शोक संतप्त परिवारों को सस्ती और विश्वसनीय लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि करने के लिए निधियों का उपबन्ध करेगी।

11. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को करने के लिए समय-समय पर, इस वास्ते विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए यथेष्ट प्रत्यायोजन के पश्चात् राज्य सरकारों को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएगी।

केन्द्रीय सरकार आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएगी।

12. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के असंगत होते हुए भी लागू होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

13. इस अधिनियम के उपबंध संसद द्वारा बनाई जाने वाली अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

अधिनियम का अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

14. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विगत दशक में, आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसकी वजह से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को किसानों की आत्महत्याओं से सम्बन्धित अलग आंकड़े जारी करने पड़े। वर्ष 2014, में भारत में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या 5650 रही। किसानों की आत्महत्याओं के पीछे सबसे प्रमुख कारण ऋणग्रस्तता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, दिवालियापन और ऋणग्रस्तता प्रमुख कारक है, जिसका कुल किसान आत्महत्याओं में लगभग 20.6. योगदान है। सरकारी नीतियों में फिलहाल आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को एकबारगी मौद्रिक प्रतिपूर्ति करना सम्मिलित है। किसानों की आत्महत्याओं के पीछे ऋणग्रस्तता को देखते हुए, यह प्रतिपूर्ति आजीविका चलाने में शोक संतप्त परिवारों की सहायता नहीं करेगी। अत: यह महत्व की बात है कि सरकार विधवाओं और उनके बच्चों हेतु व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम का उपबन्ध करे।

दो हैक्टेयर भूमि से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसान, किसानों के सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में से हैं। फार्म प्रौद्योगिकियों के आरम्भ हेतु आर्थिक रूप से अव्यवहार्य अपनी छोटी भूमि जोतों के कारण, उनके दिवालिया हो जाने की अधिक संभावना रहती है। एनसीआरबी आंकड़ों से पता चलता है कि लघु और सीमांत किसानों की आत्महत्या दर 72.4% है।

केन्द्रीय सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि वे शोक संतप्त परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन करने में समर्थ हो सकें। यह विधवाओं को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत कल्याण नीतियों के अतिरिक्त हो। राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराते समय, कृषि संकट में राज्य-वार घट-बढ़ को घ्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में किसानों की कुल आत्महत्याओं का लगभग 50% होता है जिसमें काश्तकारों द्वारा की जाने वाली कुल आत्महत्याओं की संख्या 2658 है। राज्य सरकारों को कृषि संकट की मात्रा के आधार पर निधियों का आवंटन भी करना चाहिए। मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है और इसलिए राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में और अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिए।

भारत में, वर्तमान में सरकारें विधवाओं को एकबारगी मौद्रिक प्रतिपूर्ति करती है। विधवाओं को आजीविका के स्थायी साधन सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक नीति नहीं है।

सरकारों का ध्यान विधवाओं और उनके परिवारों को स्थायी आजीविका प्रदान करने पर होना चाहिए। विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों, लघु स्तरीय इकाइयां आदि की स्थापना में उनकी सहायता के माध्यम से यह किया जा सकता है। सरकार डेयरी और कुक्कुट फार्म में निवेशों के माध्यम से उनकी आय के विविधीकरण से परिवारों की सहायता कर सकती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा अबाध रूप से जारी रहे, नए सरकारी विद्यालय खोले जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा विद्यालयों की स्थितियों का अध्ययन किया जाए।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 जून, 2017
7 आषाढ़, 1939 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 का आशय उन किसानों का ऋण माफी हेतु उपबन्ध करना है जिन्होंने वर्ष 2000 से आत्महत्याएं की हैं। खण्ड 4 सम्बन्धित राज्य में कृषि संकट से ग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता का उपबन्ध करता है। खण्ड 5 शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय प्रतिपूर्ति हेतु उपबन्ध करता है । खण्ड 6 विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए उपबन्ध करता है। खण्ड 7 दो हेक्टेयर से कम भूक्षेत्र वाले शोक संतप्त परिवारों के लिए लघु स्तरीय इकाइयों को स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक निवेश के लिए ब्याज रहित ऋण का उपबन्ध करता है। खण्ड 8 प्रथम बुआई मौसम हेतु आवश्यक फार्म उपस्कर और आदानों के लिए उपबन्ध करता है। खण्ड 9 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों को स्थापित करने का उपबन्ध करता है। खण्ड 10 शोक संतप्त परिवारों को सस्ती और विश्वसनीय लोक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपबन्ध करता है। खण्ड 11 राज्यों को अपेक्षित निधियां आवंटित करने को केन्द्रीय सरकार के लिए उपबन्ध करता है।

अत: इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस पर भारत की संचित निधि से प्रति वर्ष लगभग पाँच हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग पचास करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 14 में केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामले से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं और अन्य आश्रित पारिवारिक सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ताकि ऐसे परिवारों को टिकाऊ आजीविका मिलने में सहायता की जा सके और तत्संबंधी विषयों के लिए

विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1509LS(S3)—28.07.2017.